

मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राप्त की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित विभिन्न विभागों की सूची।

क्र०सं०	विभाग का नाम
1-	तहसीलदार
2-	नगर निगम
3-	विद्युत विभाग / टोरण्ट पॉवर लिमिटेड
4-	अग्निशमन विभाग
5-	जल संस्थान
6-	आवास एवं विकास परिषद्
7-	उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
8-	इन्वायरनमेन्टल इम्पैक्ट असेसमेन्ट (इन्वायरनमेन्टल विलयरेन्स)।
9-	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
10-	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
11-	लोक निर्माण विभाग
12-	सिंचाई विभाग
13-	रेलवे
14-	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया
15-	रक्षा सम्पदा विभाग
16-	वन विभाग
17-	विस्फोटक विभाग
18-	अपर जिलाधिकारी (नजूल)

## मानचित्र जमा योजना

स्वतः स्वीकृति (300 वर्गमी० तक) एकल आवासीय

### योजनागत-

1. 300 वर्गमी० तक के मानचित्र ऑनलाईन स्वीकृत किये जाते हैं।
2. संलग्नकों की जाँच अधिकृत अभियंता द्वारा की जाती है।
  - भू-स्वामित्व (मानचित्र जमा करने वाले के नाम भू-स्वामित्व का प्रमाण/रजिस्ट्री)।
  - लेबर सेस का गणना प्रपत्र
  - शुल्कों की जांच
  - वास्तुविद् के लाइसेंस की वैधता की जांच
  - शपथपत्रों की जांच
  - आवेदन के पत्र की जांच
  - यदि मानचित्र के कुछ भाग निर्मित हैं तो उसके वैधता प्रपत्र एवं नामान्तरण की जांच
3. मानचित्र की तकनीकी जांच (उक्त जांच अधिकृत अभियंता द्वारा की जाती है)।
  - एफ.ए.आर. की जांच
  - भू-आच्छादन की जांच
  - सेट बैक नियमानुसार (ले-आउट के अनुसार)
  - भवन के ऊंचाई की जांच
  - तलों के क्षेत्रफल की जांच
  - भवन उपविधि में प्राविधानित विशिष्टियों की जांच  
महायोजना के अनुसार नियोजित विकास के उद्देश्य हेतु प्राधिकरण को राजस्व की प्राप्ति हेतु।

## मानचित्र जमा

### योजनान्तर्गत एवं गैर योजनागत एवं 300 वर्गमी० से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय एवं व्यवसायिक एवं अन्य मानचित्र।

1. इस प्रकार के मानचित्रों हेतु अलग आवेदन फार्म सामान्य काउण्टर पर उपलब्ध है।
2. मानचित्र शुल्क क्षेत्रफल के आधार पर जांचोपरान्त जमा किया जाता है, बैंक की रसीद की प्राप्ति उपरान्त कम्प्यूटर आई०डी० बना कर पोर्टल पर मानचित्र जमा किया जाता है।
3. काउण्टर पर जमा होने क उपरान्त मानचित्र को उसी दिन मानचित्र सेल को रिसीव करा दिया जाता है।
4. अधिशासी अभियन्ता द्वारा संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को मार्क कर दिया जाता है।
5. सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा संलग्न प्रपत्रों की जाँच की जाती है।
  - जिस भूखण्ड पर मानचित्र प्रस्तुत किया गया है उससे सम्बन्धित स्वामित्व प्रपत्र है कि नहीं।
  - अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा स्थल की जाँच निम्नवत की जाती है:—
    - सम्मुख मार्ग की स्थिति
    - भूखण्ड का महायोजना क्षेत्रफल।
    - भूखण्ड का महायोजना में भू-प्रयोग।
    - भूखण्ड का सुरक्षा जोन, पुरात्व विभाग एवं हेरीटेज जोन एवं विमानपत्तन प्राधिकरण में स्थित है या नहीं ?

### मानचित्र का तकनीकी परीक्षण

तकनीकी परीक्षण भवन उपविधि एवं महायोजना के अनुसार—  
क्यों और कैसे किया जाता है ?

- नियोजित विकास, अवैध निर्माण के रोकथाम हेतु
- भवन उपविधि एवं समय-समय पर शासनादेशों के अनुपालनार्थ।
  - आवासीय एवं अन्य भवन जिसमें अग्निशमन की आपत्ति आवश्यक नहीं है, उन मानचित्रों का निस्तारण जाँचोपरान्त उपाध्यक्ष महोदय अथवा उनके द्वारा प्रतिनिधायन अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
  - तलपट मानचित्रों, समूह आवास एवं 15 मी० से ऊँचे (चार मंजिल) अथवा 500 वर्गमी० से अधिक भू-आच्छादन जिसमें अग्निशमन और अन्य विभागों की अनापत्तियाँ वांछित हैं वे सभी प्रकरण उपविधि के प्रस्तर (3.1.3.3) के प्राविधान के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में तकनीकी समिति के समक्ष परीक्षणोपरान्त निस्तारण किये जाते हैं।